

॥ न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ॥

राजस्व अपील संख्या 5/2014

अपीलांतस	बनाम	रेस्पोंडेंटस
01. श्री भैराराम पुत्र श्री बीजाराम जाति जाट निवासी खोखसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर हाल निवासी हरियासर राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर		01. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत 02. श्री भीमसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत 03. श्री महासिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत निवासीयान हरियासर राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 04. श्रीमती चन्द्रकंवर बेवा स्व0 श्री सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी लखासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 05. श्रीमती अमृत कंवर पत्नी श्री रूपसिंह जाति राजपुत निवासी तेजमालता तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर । 06. श्रीमती अगर कंवर पत्नी श्री प्रयागसिंह जाति राजपुत निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर । 07. सरपंच ग्राम पंचायत राजमथाई तहसील भणियाणा । 08. तहसीलदार भणियाणा

उपरिस्थिति :

1. श्री ए.आर. मेहर वकील अपीलान्त
2. श्री हरिसिंह भाटी, वकील रेस्पोंडेंट सं. 1 से 3
3. श्री किसनसिंह भाटी रेस्पोंडेंट सं. 4 से 6
4. पैरोकार राज वास्ते रेस्पोंडेंट सं. 8

निर्णय

दिनांक : 25.08.2015


1. वकील अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोंडेंट के विरुद्ध तहसीलदार भणियाणा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 8/ 2013 श्रीमती चन्द्र कंवर वगैरा बनाम सरपंच राजमथाई वगैरा म्यूटेशन रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार भणियाणा द्वारा निर्णय दिनांक 09.01.2014 को पारित आदेश से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की है। अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलान्त द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप अपील न्यायालय में सब्जेक्ट टू लिमिटेशन के दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटस को सम्मन जारी किये गये। अपील में रेस्पोंडेंट संख्या 7 बावजूद सम्मन तामीली के अनुपस्थित रहा है। अपील में अपीलान्त के आवेदन पत्र पर सुनवाई के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2014 की अनुपालना एवं मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी आवेश तक कायम रखने का आदेश दिनांक 24.03.2014 को पारित किया गया। उक्त आदेश को न्यायालय द्वारा समय - समय पर बढ़ाया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल म्यूटेशन एवं अन्य रिकॉर्ड तलब किया गया। पक्षकारों की बहस दिनांक 07.07.2015 को सुनी गई।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम राजमथाई के नवसृजित ग्राम हरियासर के खसरा नम्बर 155/2368 रकबा 15.06 बीघा भूमि मंगल सिंह व सगत सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी, मंगलसिंह फौत होने पर नामान्तरण संख्या 122 भरा गया जिसमें मंगल सिंह के जाईन्दा पुत्रों रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरण भरा गया, मंगल सिंह की पुत्रियों के नाम नामान्तरण



में नहीं भरा गया जिस पर रेस्पोंडेंटगण संख्या 4, 5, 6 ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नामान्तरण के विरुद्ध अपील संख्या 13/ 2011 करवाई जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा अपील म्याद के बिन्दु पर दिनांक 29.12.2011 को अपील खारिज कर दी। जिसकी द्वितीय अपील रेस्पोंडेंटगण संख्या 4, 5, 6 द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में की गई, जिस पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 14.06.2012 को अपील आंशिक स्वीकार कर म्याद के बिन्दु तय कर अपील म्याद में मानते हुए मैरिट पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड तहसीलदार पोकरण को किया। तहसीलदार पोकरण द्वारा हरियासर भणियाणा तहसील क्षेत्राधिकार का होने से उक्त प्रकरण भणियाणा तहसीलदार को विधिवत सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व आदेश दिनांक 09.01.2014 के तहत स्व० मंगल सिंह के तीनों पुत्रों व तीनों पुत्रियों के नाम नये सिरे से नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिए।

3. अपीलान्त ने न्यायालय तहसीलदार भणियाणा के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय की भूमि में खसरा नम्बर 155/2368 रकबा 15.06 बीघा भूमि का बेचान खातेदार भंवर सिंह वगैरह द्वारा दिनांक 24.08.2002 को अपीलांत को कर दिया। इस प्रकार अपीलांत का वास्तविक व भौतिक कब्जा सपरिवार रहवास रहा है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बतौर खातेदार रहा है, ऐसे में दर्ज पक्षकार, काबिज पक्षकार को सुने बिना, सुनवाई का अवसर दिये, बिना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निर्णय अपास्त योग्य है।
4. इस संबंध में रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 3 के द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील जो तहसीलदार भणियाणा के आदेश के विरुद्ध की गई है, उक्त अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं होकर संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है, इस कारण अपीलान्त की अपील बिना क्षेत्राधिकार की होने से खारिज की जावें। रेस्पोंडेंटस संख्या 4 से 6 के द्वारा भी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में भी इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील जो तहसीलदार भणियाणा के आदेश के विरुद्ध की गई है, उक्त अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं होकर संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है, इस कारण अपीलान्त की अपील बिना क्षेत्राधिकार की होने से खारिज की जावें।
5. अपील में वकील रेस्पोंडेंट के द्वारा प्रस्तुत सुनवाई के संबंध में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत कानूनी आपत्ति के संबंध में पक्षकारों की बहस सुनी गई एवं कानूनी बिन्दुओं एवं न्यायालय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। वकील अपीलांत के द्वारा निवेदन किया गया कि इस मामले में तहसीलदार भणियाणा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का है, अतः वकील रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 के द्वारा इस संबंध में न्यायालय में न्यायिक दृष्टान्त दुर्गाशंकर बनाम कैलासी बाई आरआरडी 1997 पृष्ठ 197, विमल कुमार बनाम महावीर प्रसाद व अन्य आरआरडी 2010 पृष्ठ 614 एवं अन्य न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त दृष्टान्त इस मामले में पूर्णतया लागू होते हैं, अतः अपील अपीलांतस खारिज की जावें।
6. प्रस्तुत अपील में स्वीकृत तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 के पिता मंगल सिंह एवं उनके चाचा सगत सिंह के वारिस (उत्तराधिकारी) होने से उनके विरासत का नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया। इसके विरुद्ध अपील रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण में प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय के द्वारा म्याद के बिन्दु पर खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें अपील न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2012 के द्वारा नामान्तरण संख्या 122 विधि सम्मत नहीं होने से एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के निर्णय दिनांक 29.11.2011 को म्याद के बिन्दु पर अपील खारिज करने के निर्णय को विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाकर मामला न्यायालय तहसीलदार को मृतक खातेदार मंगल सिंह के विधि वारिसान की जांच कर दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे में नामान्तरण निस्तारण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्त के द्वारा भी नामान्तरण संख्या 122 के संबंध में इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है कि खसरा नम्बर 155/2368 रकबा 15.06 बीघा भूमि का बेचान खातेदार भंवर सिंह वगैरह द्वारा दिनांक 24.08.2002 को अपीलांत को कर दिया। भूमि में रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 के नाम इन्द्राज कर लिया गया, जो विधि-विधान, न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों ने विवादित भूमि के संबंध में स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरण को चुनौती दी है। इससे स्पष्ट है कि यह नामान्तरण विवादित है एवं ऐसे विवादित



नामान्तकरण का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार को है।

7. वर्तमान प्रकरण में विवादित नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है। ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार 75 (1) (एफ) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निदेशक भू अभिलेख को है। निदेशक भू अभिलेख की शक्तियाँ संभागीय आयुक्त / अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की हुई है। इस मामले में वकील रेस्पोंडेंटस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस मामले में पूरी तरह चरपा होते हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भणियाणा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2014 के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त / अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर (संभागीय आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार) को है। अतः इस मामले में वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत की गई कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन के अनुसार वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत अपील उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटाई जाने का आदेश पारित किया जाता है। पक्षकार अपना -- अपना व्यय स्वयं वहन करें।



Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलेक्टर
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sharma
जिला कलेक्टर
जोधपुर
जसलमेर